तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/02/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र O7 R11 प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।	
	प्रतिवादी ③ भंवरलाल पुत्र नाथू द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O7 R11(d) एवं 151 CPC प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का आधार गोदपुत्र व वसीयत का निरस्तीकरण है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावे।	
	प्रतिवादी क्रम ③ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का अप्रार्थी (वादीगण) द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि गोरा द्वारा निष्पादित वसीयत को आदिनांक किसी भी पक्षकार द्वारा चेलेन्ज नहीं किया गया है और ना ही गोरा की पुत्री न्यायालय द्वारा गोरा के गोदपुत्र के रूप में	

उपखण्ड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थगन किया गया है। न्यायालय द्वारा मांगी गई मौका रिपोर्ट मैं खसरा नम्बरान की श्रेणी काश्त की स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। इसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा भूमि को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इक्त प्रकरण 1994 से लम्बित है तथा प्रतिवादी द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र सितम्बर 2024 में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। बहस उभय पक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली व संलग्न अभिलेखों का आद्योपान्त अध्ययन किया व बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित है कि हस्तगत वाद 1994 से लम्बित है तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07R11(3) 2024 में प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली आरम्भवादी में 3/2/14 से लम्बित है	

अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	लेकिन कोई अग्रिम सम्पादित नहीं हुई। हस्तगत प्रार्थनापत्र में उल्लेखित सम्यक कारण प्रारम्भ से रिकार्ड पर उपलब्ध थे, लेकिन प्रतिवादी द्वारा एक लम्बे समय उपरान्त उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त परिस्थितियों में हम प्रतिवादी क्र० ③ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 07 R 11 (डी) खारिज किया जाना न्यायोचित पाते हैं।	
	परिणामत: प्रतिवादी क्रमांक ③ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 07 R 11 (डी) एवं 151 CPC अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।	
	जहाँ तक न्यायालय में लम्बित मनीष बनाम गोपाली वाद को निस्तारित करने बावत वादीगण का निवेदन है, के सन्दर्भ में न्यायालय का विनम्र मत है कि उक्त वाद में अपेक्षित कार्यवाही करवाने हेतु समान न्यायालय अपेक्षित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम तामील म
	पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु 21/02/25 को पेश हो। 13/2/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा	